/

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लॉक-4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Website - tribal.cg.gov.in ☎ - 2263708, Fax – 2262558 E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक/सा.स्था.–05/181/2025–26 / 11199 नवा रायपुर, दिनांक 26/12/2025

–:: आदेश ::–

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द" से छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "स" के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सा.स्था.05/146/2024/9945 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11.12.2024 द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16.01.2025 को आयोजित की गई थी। समिति की अनुशंसा के आधार पर कार्यालयीन आदेश दिनांक 10.06.2025 द्वारा पदोन्नति आदेश जारी किया गया था।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त होने से परिभ्रमण में रखे गये छात्रावास अधीक्षकों के पदोन्नति प्रकरण के संबंध में गोपनीय प्रतिवेदनों में अंतिम मतांकन एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षणोपरांत उपयुक्त पाये जाने के कारण आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी अलिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2011 एवं छ.ग. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में निहित प्रावधानों के आधार पर की गई अनुशंसा अनुसार छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द" पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल–6 (वेतन बैंड रूपये 5200–20200+2400 ग्रेड वेतन) से छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "स" पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल–8 (वेतन बैंड रूपये 9300–34800+4200 ग्रेड वेतन) के पद पर उनके कनिष्ठों को दी गई पदोन्नति के ऊपर आदेश दिनांक 10.06.2025 से **"कार्य नहीं वेतन नहीं"** के आधार पर काल्पनिक वेतन निर्धारण करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक लाभ देते हुये पदोन्नत किया जाता है:–

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थान
1	श्री बन्टी कुमार साहू	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, दमकसा, वि.ख.–दुर्गूकोंदल, जिला–कांकेर (छ.ग.)
2	श्री धनेश्वर सिंह ठाकुर	प्री–मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, दुधली, वि.ख.–डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.)
3	श्री लोकेश कुमार	प्री–मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, नारायणपुर, वि.खं. नारायणपुर, जिला–नारायणपुर (छ.ग.)
4	पूर्णिमा कोर्राम	प्री–मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, सिंगोड़ीतराई, जिला–नारायणपुर (छ.ग.)
5	वेदकुमार चंद्राकर	प्री–मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, सुकमा, जिला–सुकमा(छ.ग.)

1. यह आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर रिट याचिका W.P. (PIL) No. 91/2019, S. Santosh Kumar Vs State of Chhattisgarh & another तथा W.P. (S) No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs State of Chhattisgarh & another में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा तथा मान. उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
2. समस्त पदोन्नत कर्मचारी, जो जिस स्थान पर पदस्थ किये गये हैं, वे उसी संस्था में कार्यभार ग्रहण करते हुये संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को सूचित करेंगे। नवीन पदस्थापना शासनादेश दिनांक 10.06.2025 के परिपालन में पृथक से की जावेगी।
3. विभागीय जांच/निलंबन/न्यायालयीन प्रकरण/अपराधिक प्रकरण/अनाधिकृत अवकाश/परीविक्षा अवधि समाप्त न होने/निधन/लापता होने वाले कर्मचारी का पदोन्नति आदेश में नाम शामिल होने पर उक्त कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

26/12/2025

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

पृ.क्रमांक/सा.स्था.–05/181/2025–26/ 11200 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26/12/2025

प्रतिलिपिः–

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, **मान. मंत्री,** छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, **प्रमुख सचिव,** छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. **कलेक्टर,** जिला–...छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
4. **सहायक आयुक्त,** आदिवासी विकास, जिला–...छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. **जिला** कोषालय अधिकारी, जिला–...छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. **संबंधित श्री/श्रीमती/कु.** ————————————————— छात्रावास अधीक्षक श्रेणी ''द'' प्री–मैट्रिक आदिवासी/अनुसूचित जाति, बालक/कन्या, छात्रावास—————————— जिला .... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner